राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या –1454/2008/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उडनदस्ता, राज.–पंचम, जयपुर .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स स्टैण्डर्ड ट्रांसपोर्ट आरॅगनाइजेशन, दिल्ली। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित ::

श्री एन.के.बैद,
अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री पंकज घीया,
उप राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 07.12.2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी की ओर से उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिन्हें आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) की अपील संख्या 462/आरएसटी/एनआरडी/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता–V, राज. जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 78(8) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 24.01.2003 के जरिये अभिनिर्धारित मांग राशि को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी ने वाहन संख्या आर.जे.–14जी–6052 को चैक किया। परिवहनित परचून माल दिल्ली से जयपुर के लिये था। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर संदेह होने पर माल का भौतिक सत्यापन किया गया एवं भौतिक सत्यापन पर अघोषित एवं मिथ्या दस्तावेज के जरिये माल परिवहन का दोषी मानते हुये धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपित की गई। कर चोरी की नियत से माल परिवहनित करने का दोषी मानते हुए धारा 78(8) के तहत नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया। सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी के जवाब को मिथ्या एवं पश्चातवर्ती सोच का परिणाम अवधारित करते हुए अस्वीकार किया तथा वेट अधिनियम की धारा 78(8) के तहत आदेश दिनांक 29.11.2007 पारित करते हुए शास्ति रूपये 39,569/– का आरोपण किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2007 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर यह अपील राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं शास्ति अविधिक होने के कारण अपास्तनीय है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत समस्त न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देते हुए प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन कर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को मिलीभगत का दोषी मानते हुये शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई है। हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही करते हुये सशक्त अधिकारी द्वारा धारा 78(5) के तहत परिवहनित माल पर शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई। प्रकरण में सम्पूर्ण पत्रावली से ऐसा कही प्रमाणित नहीं है कि सशक्त अधिकारी द्वारा व्यवहारी की करवंचना में सहभागिता प्रमाणित की गई हो। उपरोक्त वाहन से परिवहनित अघोषित माल पर कर निर्धारण अधिकारी ने प्रकरण में 78(5) के तहत कार्यवाही करते हुये शास्ति आरोपण की जा चुकी है परन्तु एक ही व्यक्ति पर दोहरी शास्ति आरोपण [**78(5) व 78(8)**] उचित प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्तानुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया जाता है।

7. परिणामस्वरुप विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है। जिसमें शास्ति को अपास्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य